

पटना में दिनांक-04 फरवरी, 2025 मंगलवार को अपराह्न 3:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

उद्योग विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 की कड़िका 12.8 में संशोधन। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

उद्योग विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | मेसर्स नेचुरल्स डेयरी प्राइवेट लिमिटेड-इथेनॉल डिवीजन, पानापुर, मोतीपुर जिला-मुफ्फरपुर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

उद्योग विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | मेसर्स अनमोल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, ठाकुरगंज, किशनगंज को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

ऊर्जा विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 30 अर्द्ध नए विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल राशि 358.05 करोड़ (तीन सौ अठावन करोड़ पाँच लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात् 214.83 करोड़ (दो सौ चौदह करोड़ तेरासी लाख) रुपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 143.22 करोड़ (एक सौ तेतालीस करोड़ बाईस लाख) रुपये राज्य सरकार द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

ऊर्जा विभाग

5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 29 अदद नए विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल राशि 369.62 करोड़ (तीन सौ उनहत्तर करोड़ बासठ लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात् 221.78 करोड़ (दो सौ इक्कीस करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 147.84 करोड़ (एक सौ सैंतालीस करोड़ चौरासी लाख) रुपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

5. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

6. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन कार्यरत 220/132/33 के०भी० एवं 132/33 के०भी० ग्रिड सब-स्टेशनों से सम्बद्ध/प्रस्तावित विद्युत शक्ति उपकेन्द्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 62 अदद 33 के०भी० लाइन 'बे' निर्माण हेतु 88.99 करोड़ (अठासी करोड़ निन्यानवे लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 17.80 करोड़ (सत्रह करोड़ अस्सी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 71.19 करोड़ (इकहत्तर करोड़ उन्नीस लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

6. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

7. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट प्रखंड के मैथी में एक नये 2X80 एम०भी०ए० क्षमता वाली ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण एवं 132 के०वी० मुशहरी-एस०के०एम०सी०एच० संचरण लाईन के दोनों सर्किट का मैथी एल०आई०एल०ओ० हेतु 134.42 करोड़ (एक सौ चौतीस करोड़ बियालीस लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात् 26.88 करोड़ (छब्बीस करोड़ अट्ठासी लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 107.54 करोड़ (एक सौ सात करोड़ चौवन लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

7. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

8. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 06 अदद 132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशनों (रामनगर, शिवहर, बखरी, शेरघाटी, बारसोई एवं पीरो) को दूसरा ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने हेतु 06 अदद 132/33 के०वी० डबल सर्किट नये संचरण लाईन एवं संबंधित 21 अदद 'बे' के निर्माण हेतु कुल 442.82 करोड़ (चार सौ बियालीस करोड़ बेरासी लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 88.56 करोड़ (अठ्ठासी करोड़ छप्पन लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 354.26 करोड़ (तीन सौ चौवन करोड़ छब्बीस लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

8. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

9. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन जमुई, मुंगेर, लखीसराय, बांका एवं नवादा जिलों के 54 बसावटों (29 गाँवों) के 2062 घरों को ग्रिड से विद्युतीकरण करने हेतु "पुनर्निर्माण वितरण क्षेत्र योजना" (आर०डी०एस०एस०) अंतर्गत कुल राशि 35.46 करोड़ (पैंतीस करोड़ छियालीस लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 17.79 करोड़ (सत्रह करोड़ उनासी लाख) रुपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात् 10.68 करोड़ (दस करोड़ अड़सठ लाख) रुपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 24.78 करोड़ (चौबीस करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

9. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

10. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा कजरा (लखीसराय) में 116 मेगावाट (AC) सौर ऊर्जा (PV) क्षमता के साथ 241 MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) विस्तार परियोजना के अधिष्ठापन हेतु कुल 1055.72 करोड़ (एक हजार पचपन करोड़ बहत्तर लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 80:20 वित्तीय पोषण के तहत 80% अर्थात् 844.58 करोड़ (आठ सौ चौवालीस करोड़ अठावन लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण स्वरूप प्राप्त करने की स्वीकृति एवं 20% अर्थात् 211.14 करोड़ (दो सौ ग्यारह करोड़ चौदह लाख) रुपये इक्विटी स्वरूप पूँजीगत निवेश के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

10. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

11. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन नव सृजित 06 अदद विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के प्रमंडलीय नियंत्रण कक्ष, 15 अदद विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के अवर प्रमंडलीय नियंत्रण कक्ष, 05 अदद पावर सब-स्टेशनों के नियंत्रण कक्ष भवन एवं 04 अदद नये प्रमंडलीय भंडार के निर्माण हेतु 51.44 करोड़ (इक्कावन करोड़ चौवालीस लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
11. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

12. बांका जिलांतर्गत लक्ष्मीपुर ग्राम के निकट चांदन जलाशय का ड्रेजिंग के माध्यम से 10 वर्षों तक डिसिल्टेशन कार्य की स्वीकृति, जिसके फलस्वरूप राशि रु० 75.36 करोड़ (पचहत्तर करोड़ छत्तीस लाख रुपये) के अनुमानित राजस्व की प्राप्ति।
12. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

13. प्रशिक्षु अधिनियम-1961 (यथा संशोधित) अन्तर्गत राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना में निहित प्रावधानों के आलोक में अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु राज्यान्तर्गत विभिन्न विभागों एवं निगमों में प्रशिक्षुओं को दिये जाने वाले न्यूनतम निर्धारित स्टाइपेंड की राशि डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी (तकनीकी) प्रशिक्षुओं हेतु क्रमशः रुपया 9,000/- (नौ हजार) एवं रुपया 8,000/- (आठ हजार) प्रतिमाह को बढ़ाकर रुपया 15,000/- (पन्द्रह हजार) मात्र एवं रुपया 10,000/- (दस हजार) मात्र प्रतिमाह करने की स्वीकृति।
13. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

14. पश्चिमी कोशी तटबंध के कि०मी० 38.210 से कि०मी० 38.630 (घोघरडीहा से नीचे) पर कटाव निरोधक कार्य। (एजेण्डा सं०-WKE/N/12/2025) (प्राक्कलित राशि रु० 4022.35 लाख) (रुपये चालीस करोड़ बाईस लाख पैंतीस हजार) मात्र के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।
14. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

15. भवन निर्माण विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण भवनों के 05 वर्षों के लिए समग्र रख-रखाव, हाउसकीपिंग एवं परिचालन हेतु ₹583.25 करोड़ (पांच सौ तेरासी करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
15. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

16. भवन निर्माण विभाग के अधीन गैर योजना मद में कुल ₹2,73,96,000/- (दो करोड़ तिहत्तर लाख छियानवे हजार रुपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर मुख्य अभियंता (सरचना), पटना एवं निदेशक, निरूपण इकाई (Design Unit), पटना का कार्यालय का गठन तथा केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना का पुनर्गठन करते हुए उच्चवर्गीय लिपिक के कुल 10 पदों का प्रत्यर्पण एवं आवश्यक कुल 24 पदों का सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
16. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

17. भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत विद्युत उपभाग का पुनर्गठन करते हुए पूर्व से स्वीकृत उच्चवर्गीय लिपिक के 23 पदों का प्रत्यर्पण एवं गैर योजना मद में ₹6,73,53,360/- (छः करोड़ तिहत्तर लाख तिरपन हजार तीन सौ साठ रुपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अभियंता प्रमुख (विद्युत) एवं मुख्य विद्युत अभियंता सहित विभिन्न श्रेणी के कुल 72 पदों का सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
17. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

18. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना हेतु लागत राशि रु० 1,45,98,64,000/- (एक सौ पैंतालीस करोड़ अठानवे लाख चौंसठ हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
18. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत बेगूसराय जलापूर्ति योजना हेतु लागत राशि रु० 1,32,84,73,000/- (एक सौ बत्तीस करोड़ चौड़ासी लाख तिहत्तर हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
19. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

20. "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2025" के संबंध में।
20. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

21. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के सम्यक संचालन, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के उद्देश्य से "मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय" का गठन।
21. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

22. बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत नालन्दा न्यायमंडल के हिलसा में एक अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना हेतु जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 22. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

23. "बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि (संशोधन) नियमावली, 2025" के संबंध में। 23. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

24. वित्तीय वर्ष 2024-25 में सारण जिलान्तर्गत जिला मुख्यालय स्तरीय पदाधिकारियों/कर्मियों के (टाईप-A, B, C, D & E) आवास निर्माण हेतु कुल ₹32,06,29,000/- (बत्तीस करोड़ छः लाख उनतीस हजार रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। 24. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

25. राज्य अन्तर्गत संचालित सरकारी फार्मसी संस्थानों में सृजित शैक्षणिक पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों (Guest Faculty) को देय मानदेय में वृद्धि प्रदान करने के संबंध में। 25. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

26. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) संवर्ग नियमावली-2018 एवं बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) संवर्ग नियमावली, 2023 को निरस्त करते हुए "बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाइफ) संवर्ग नियमावली-2025" के गठन की स्वीकृति के संबंध में। 26. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

27. डा० प्रेम प्रकाश शंकर, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, जमुई को दिनांक-27.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 27. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

28. डा० नागेन्द्र नाथ, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजनपुर, महिषी, सहरसा को दिनांक-29.06.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 28. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

29. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) के एक गैर-संवर्गीय पद सृजन के संबंध में।

29. स्वीकृत।

गृह विभाग

30. बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनंदपुर, बिहटा के अधिष्ठापन हेतु नये भवनों/संरचनाओं यथा Fire Rescue Tower, Industrial Training Tower, B.A Training Gallery, Model Training Fire Station & Class room, Simulation Building एवं Parade Ground & Visitor Gallery के निर्माण कार्य हेतु कुल तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹7669.733 लाख (छिहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख तिहत्तर हजार तीन सौ रु०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में।

30. स्वीकृत।

विधि विभाग

31. बांका न्यायमंडल में उत्पाद न्यायालय, वी०डब्लू०डी० कॉम्प्लेक्स, पॉक्सो न्यायालय, परिवार न्यायालय-सह-ए०डी०आर० भवन, जिला अभियोजन कार्यालय, डिजिटल कम्प्यूटर रूम एवं टॉयलेट कॉम्प्लेक्स इत्यादि के निर्माण के निमित्त 4.00.47 एकड़ रैयती भूमि के अर्जन के लिए प्राक्कलित राशि रु०-31,01,30,264/- (एकतीस करोड़ एक लाख तीस हजार दो सौ चौंसठ) रुपये के व्यय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

31. स्वीकृत।

वित्त विभाग

32. बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग के प्रोन्नति सोपानों के लिए वेतनसंरचना एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में।

32. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

33. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-216, दिनांक-18.02.2011 सहपठित अधिसूचना सं०-509, दिनांक-14.04.2011 एवं अधिसूचना सं०-44 दिनांक-10.01.2012 को शिथिल करते हुए दरभंगा जिला के बेनीपुर अनुमंडल अन्तर्गत राजस्व ग्राम श्रीपुरजगत, मुहम्मदपुर एवं सीमा बलहा को अंचल कार्यालय अलीनगर से हस्तांतरण कर अंचल कार्यालय बेनीपुर के साथ संबद्ध करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।

33. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

34. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम "विशेष वर्ग कक्ष एवं मासिक परीक्षा" अंतर्गत राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की माह सितम्बर 2024 तक ली गई मासिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों एवं उत्तर-पुस्तिकाओं के मुद्रण एवं आपूर्ति पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने हेतु ₹51,37,97,851/- (इक्यावन करोड़ सैंतीस लाख सतानबे हजार आठ सौ इक्यावन) की स्वीकृति एवं तत्काल ₹50,00,00,000/- (पचास करोड़) की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

34. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

35. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्रियान्वयन इत्यादि मद में स्वीकृत समय-सीमा एवं इस हेतु पूर्व से स्वीकृत राशि के अतिरिक्त सेवा प्रदाता कम्पनी के साथ एकरारनामा के फलस्वरूप तीन वर्षों में कुल राशि 8471.07 लाख (चौरासी करोड़ एहत्तर लाख सात हजार) रुपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

35. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

36. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण (End to End Computerization) के द्वितीय चरण में राज्य में उचित मूल्य के दुकानों का स्वचालन (FPS Automation) योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में ई-पॉस यंत्र का अधिष्ठापन एवं सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु चयनित प्रणाली समाकलक (System Integrator) लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्रा० लि० को निविदा शर्तानुसार अगले पाँच वर्षों (01 जनवरी, 2025 से 31 दिसम्बर, 2029) तक अवधि विस्तार एवं उक्त मद में 35239.75 लाख रुपये (तीन सौ बावन करोड़ उनचासी लाख पचहत्तर हजार रुपये) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

36. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

37. समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखंड में पत्थरघाट से हरदासपुर के बीच गंगा नदी पर पीपा पुल का अधिष्ठापन, मरम्मत के पश्चात् लगाने तथा रख-रखाव एवं बरसात के पूर्व खोलकर अगले 5 क्रमिक वर्षों के लिए लगाये जाने तक सुरक्षित रखने एवं रिसैटिंग/रिअरेजिंग संबंधित कार्य हेतु कुल राशि 3572.77 लाख (पैंतीस करोड़ बहत्तर लाख सतहत्तर हजार) रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

37. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

38. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) संवर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति तथा सेवा शर्तों के विनियमन हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक (यांत्रिक) संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2025 की स्वीकृति के संबंध में।
38. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

39. बक्सर जिलान्तर्गत अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित सिमरी बहुग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 112.57 करोड़ रुपये (एक अरब बारह करोड़ सत्तावन लाख रुपये) मात्र की राशि पर मूल स्वीकृत योजना का तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि 202.705547 करोड़ रुपये (दो अरब दो करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार चार सौ सत्तर रुपये) मात्र पर पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति।
39. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

40. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पटना के लिए अभियंत्रण शाखा के विभिन्न पदों पर संविदा/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति हेतु कुल 49 पदों एवं संविदा पर नियुक्ति हेतु 01 भू-अर्जन विशेषज्ञ पदाधिकारी के पद अर्थात् 50 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
40. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

41. नवादा जिलान्तर्गत रजौली अंचल के मौजा-रामदासी, थाना सं०-182 के विभिन्न खाता एवं खेसरा का कुल रकबा-6.00 एकड़ जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की भूमि (विवरणी-परिशिष्ट-I संलग्न) किस्म-अनावाद बिहार सरकार एवं अर्जित भूमि, रजौली अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय भवन एवं न्यायिक पदाधिकारियों के आवास निर्माण हेतु विधि विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में।
41. स्वीकृत।

कृषि विभाग

42. कृषोन्नति योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (आत्मा योजना) अंतर्गत प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर किसान सलाहकार समिति के गठन एवं दायित्व संबंधी अनुदेश की स्वीकृति के संबंध में।
42. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

43. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 04 (चार) राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कुल-22 शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष-03 एवं व्याख्याता-19) एवं 07 (सात) राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विद्युत अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए कुल-33 शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष-02 एवं व्याख्याता-31) अर्थात् कुल-55 (पचपन) शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष-05 एवं व्याख्याता-50) के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

43. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

44. वित्तीय वर्ष 2024-25 में पी०एम० पोषण योजना (मध्याह्न भोजन योजना) अन्तर्गत PAB द्वारा कुल स्वीकृत राशि 81943.06 लाख के आलोक में पूर्व में प्रथम एवं द्वितीय किस्त की निर्गत कुल राशि 26705.94 लाख घटाने के उपरांत अवशेष केन्द्रांश मद की प्रत्याशा में संगत राज्यांश की कुल राशि 55237.12 लाख (पाँच सौ बावन करोड़ सैंतीस लाख बारह हजार रू० मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

44. स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

45. वित्तीय वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 42900 (बयालीस हजार नौ सौ) मे०टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 (दो सौ) मे०टन, 500 (पाँच सौ) मे०टन एवं 1000 (एक हजार) मे०टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 (पचास) प्रतिशत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रू० 30,89,98,582/- (तीस करोड़ नबासी लाख अनठानवे हजार पाँच सौ बेरासी) मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति।

45. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

46. कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर सिवान जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं०-89 (बबुनिया-सिसवन रोड) पर सिवान यार्ड (सिवान रेलवे स्टेशन) से पंचरूखी रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या-91 Spl (रेलवे कि०मी० 386/36-38) के बदले आर०ओ०बी० (सड़क उपरी पुल) के निर्माण हेतु राज्यांश राशि ₹4608.25 लाख (रुपये छियालीस करोड़ आठ लाख पच्चीस हजार मात्र) सहित कुल ₹9216.52 लाख (रुपये बानबे करोड़ सोलह लाख बावन हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

46. स्वीकृत।

खेल विभाग

47. महिला विश्व कप कबड्डी चैम्पियनशीप-2025 के आयोजन हेतु सैद्धांतिक सहमति एवं उक्त आयोजन पर होने वाले व्यय की कुल राशि ₹8,25,72,729/- (आठ करोड़ पच्चीस लाख बहत्तर हजार सात सौ उनतीस रुपये) मात्र पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

47. स्वीकृत।

खेल विभाग

48. सेपकटाकरा विश्व कप (महिला एवं पुरुष)-2025 के आयोजन हेतु सैद्धांतिक सहमति एवं बिहार सरकार द्वारा सेपकटाकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया को प्रायोजन हेतु ₹8,00,00,000.00/- (आठ करोड़ रुपये) मात्र प्रदान करने एवं समझौता ज्ञापन करने हेतु प्राधिकृत करने तथा अन्य व्यय होने वाले राशि के साथ कुल समेकित राशि ₹13,31,36,000/- (तेरह करोड़ इकतीस लाख छत्तीस हजार रुपये) मात्र पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

48. स्वीकृत।

खेल विभाग

49. खेल विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन एवं सुगम संचालन हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय, पटना का कार्यालय के गठन के संबंध में।

49. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

50. आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 योजना के अधीन मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल में भोजनादि के प्रबंध हेतु जीविका (शहरी) द्वारा संचालित 'दीदी की रसोई' को नामित करने के संबंध में।

50. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

51. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के 06 नगर निगमों में सी०सी०टी०वी० परियोजना एवं ट्रेफिक सिग्नल प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹48705.81 लाख (चार सौ सत्तासी करोड़ पाँच लाख इक्यासी हजार रु०) मात्र की लागत की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी बेल्ट्रॉन को नामित करने तथा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131(छ) के आलोक में नामांकन (Nomination) के आधार पर सर्वश्री M/S iHUB Divyasampark @ IIT Roorkee को परियोजना लागत की कुल 1.6 प्रतिशत अर्थात् कुल ₹779.29296 लाख (सात करोड़ उन्नीस लाख उनतीस हजार दो सौ छियानवे रु०) मात्र के परामर्शी शुल्क पर परियोजना परामर्शी नामित करने के संबंध में।

51. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

52. श्री बैद्यनाथ यादव, भा०प्र०से० (2007), सचिव, शिक्षा विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 28.02.2025 के पश्चात् सचिव, शिक्षा विभाग के पद के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका-3(1) के परन्तुक को शिथिल करते हुए संकल्प के अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में संविदा पर 01 (एक) वर्ष के लिए नियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

52. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

53. श्री पंकज कुमार, भा०प्र०से० (2010), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 28.02.2025 के पश्चात् निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पद के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका-3(1) के परन्तुक को शिथिल करते हुए संकल्प के अन्य सुसंगत प्रावधानों के आलोक में संविदा पर 01 (एक) वर्ष के लिए नियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

53. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

54. माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर परिषद, हाजीपुर क्षेत्र से जल निकासी के लिए हाजीपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना फेज-1 तथा हाजीपुर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना फेज-2 की सैंटेज सहित राशि क्रमशः ₹6732.24366 लाख (सड़सठ करोड़ बत्तीस लाख चौबीस हजार तीन सौ छियासठ रु०) मात्र तथा ₹6241.91539 लाख (बासठ करोड़ एकतालीस लाख एकानवे हजार पाँच सौ उनचालीस रु०) मात्र अर्थात् कुल ₹12974.15905 लाख (एक सौ उनतीस करोड़ चौहत्तर लाख पंद्रह हजार नौ सौ पाँच रु०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में।

54. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

55. माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत गंगासागर, हराही एवं दिग्घी झीलों के Rejuvenation हेतु कुल राशि ₹7528.21262 लाख (पचहत्तर करोड़ अठाईस लाख ईक्कीस हजार दो सौ बासठ रु०) मात्र की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में।

55. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

56. प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) अंतर्गत कटिहार जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि रुपये 1,50,30,09,000/- (एक सौ पचास करोड़ तीस लाख नौ हजार रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
56. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

57. माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में नगर निगम, दरभंगा क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड निर्माण हेतु कुल राशि ₹8377.88230 लाख (तिरासी करोड़ सतहत्तर लाख अठासी हजार दो सौ तीस रु०) मात्र की दरभंगा बस स्टैंड निर्माण योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में।
57. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

58. माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित नगर निगम पूर्णियाँ क्षेत्रान्तर्गत अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल निर्माण हेतु कुल राशि ₹5603.14900 लाख (छप्पन करोड़ तीन लाख चौदह हजार नौ सौ रु०) मात्र की पूर्णियाँ अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल निर्माण योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में।
58. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

59. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन समस्तीपुर जिला के कार्य प्रमंडल-समस्तीपुर अंतर्गत पथ "एन०एच०-28 छोटी बेझाडीह से कन्हैया चौक भाया शीतलपट्टी, महादेव चौक तक बाईपास सड़क का निर्माण (पार्ट-ए) एम०डी०आर०-टी01 से हकीमाबाद तक बाईपास सड़क का निर्माण (पार्ट-बी)" कुल लम्बाई-11.558 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 31.89058 करोड़ रुपये (इक्तीस करोड़ नवासी लाख पाँच हजार आठ सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।
59. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

60. प्रगति यात्रा से संबंधित "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के अनुसूचित जाति घटक के अधीन मधेपुरा जिला के कार्य प्रमंडल-उदाकिशुनगंज अंतर्गत पथ "चौसा मुरली चौक से योगीराज भाया कृष्णा टोला पॉलिटेक्निक, वंश गोपाल", लंबाई-14.90 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रु० 32.80273 करोड़ रुपये (बत्तीस करोड़ अस्सी लाख सत्ताईस हजार तीन सौ रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

60. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

61. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर स्थान को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु प्राक्कलित राशि 90,27,13,000/- (नब्बे करोड़ सत्ताईस लाख तेरह हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

61. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

62. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में पूर्णिया जिलान्तर्गत पूरन देवी मंदिर को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु प्राक्कलित राशि 34,08,10,000/- (चौतीस करोड़ आठ लाख दस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

62. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

63. प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में मधुबनी जिलान्तर्गत फुलहर स्थान, हरलाखी को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु प्राक्कलित राशि 31,13,55,000/- (इकतीस करोड़ तेरह लाख पचपन हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

63. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

64. प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत सोमेश्वरनाथ मंदिर, अरेराज में पर्यटकीय विकास कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 54,22,60,300/—(चौवन करोड़ बाईस लाख साठ हजार तीन सौ) रुपये, दो अदद पुल निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 15,79,58,000/—(पन्द्रह करोड़ उनासी लाख अनठावन हजार) रुपये के साथ कुल राशि 70,02,18,300/—(सत्तर करोड़ दो लाख अठारह हजार तीन सौ) रुपये एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ प्रमंडल मोतिहारी अन्तर्गत अरेराज शिव मंदिर से फतुहा चौक पथ के कि०मी० 0.00 से 10.30 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 36,52,05,000/— (छत्तीस करोड़ बावन लाख पाँच हजार) रुपये कुल योग 106,54,23,300/—(एक अरब छः करोड़ चौवन लाख तेइस हजार तीन सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

64. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

65. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में समस्तीपुर जिलान्तर्गत मुक्तापुर मोईन झील के झील-तट का पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकास हेतु प्राक्कलित राशि 37,96,93,100/—(सैंतीस करोड़ छियानबे लाख तिरानवे हजार एक सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त स्थल को निर्मित संरचनाओं के साथ संचालन हेतु निजी एजेंसी को नियमानुसार लीज पर प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

65. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

66. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में दरभंगा जिलान्तर्गत कुशेश्वर स्थान के विकास हेतु प्राक्कलित राशि 44,03,26,000/—(चौवालिस करोड़ तीन लाख छब्बीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

66. स्वीकृत।

पर्यटन विभाग

67. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर सोनपुर अवस्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास हेतु मुख्य परामर्शी (Principal Consultant) के रूप में एच०सी०पी० डिजाईन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट Pvt. Ltd., अहमदाबाद का मनोनयन के आधार पर चयन एवं इस कार्य हेतु होने वाले व्यय के वहन की स्वीकृति के संबंध में।

67. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

68. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड में एक नये 2x80 एम०बी०ए० क्षमता वाली ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण एवं 132 के०बी० दरभंगा (शोभन)-समस्तीपुर संचरण लाईन एक सर्किट का वारिसनगर में एल०आई०एल०ओ० के निर्माण हेतु 135.00 करोड़ (एक सौ पैंतीस करोड़) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 27.00 करोड़ (सत्ताईस करोड़) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 108.00 करोड़ (एक सौ आठ करोड़) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

68. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

69. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु मधेपुरा जिले के चौसा प्रखण्ड में एक नये 2x80 एम०वी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण, 132 के०वी० चौसा-उदाकिशनगंज एवं चौसा-भवानीपुर संचरण लाईन, ग्रिड सब-स्टेशन उदाकिशनगंज एवं भवानीपुर में 132 के०वी० के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 132.72 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ बहत्तर लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 26.54 करोड़ (छब्बीस करोड़ चौबन लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 106.18 करोड़ (एक सौ छः करोड़ अठारह लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

69. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

70. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन 03 अर्द्ध 33/11 के०वी०, 2x10 एम०वी०ए० क्षमता के नये विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 35.79 करोड़ (पैंतीस करोड़ उनासी लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

70. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

71. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा " प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सीवान जिले के मैरवा प्रखण्ड में एक नये 2x200 +2x80 एम०भी०ए० क्षमता वाली ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण, संबंधित 220 के०भी० डी०सी०डी०एस० छपरा (नया 400/220/132 के०भी०)-मैरवा संचरण लाईन, 132 के०भी० डी०सी०डी०एस० मैरवा-भोरे संचरण लाईन एवं 132 के०भी० डी०सी०डी०एस० मैरवा-रघुनाथपुर संचरण लाईन एवं ग्रिड उपकेन्द्र छपरा (नया 400/220/132 के०भी०), रघुनाथपुर एवं भोरे में संबंधित लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 517.05 करोड़ (पाँच सौ सत्रह करोड़ पाँच लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात् 103.41 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ एकतालीस लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 413.64 करोड़ (चार सौ तेरह करोड़ चौसठ लाख) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

71. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

72. प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में उग्रनाथ शाखा नहर के कि०मी० 36.63 से कि०मी० 70.26 तक विस्तारीकरण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि रूपया 481,60,48,000/- (चार सौ इक्कासी करोड़ साठ लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

72. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

73. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में सीतामढ़ी सदर अनुमंडल में बागमती बायें तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 07.27, बायें एफलक्स बांध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 8.04, दायें तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 9.72, दोआब तटबंध के कि०मी० 9.00 से कि०मी० 10.00 एवं बैरगनियाँ रिंग बांध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 6.60 का बी०आई०एस० कोड एवं नए एच०एफ०एल० 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य (प्राक्कलित राशि रू० 286.55 करोड़) (दो सौ छियासी करोड़ पचपन लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

73. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

74. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में बागमती नदी के दायें तटबंध 15.24 कि०मी० से 79.00 कि०मी०, बायें तटबंध के 7.270 कि०मी० से 81.19 कि०मी०, भरथुआ रिंग बांध 0.00 कि०मी० से 2.13 कि०मी० एवं धनौर कटरा रिंग बांध 0.00 कि०मी० से 4.70 कि०मी० का बी०आई०एस० कोड एवं नये एच०एफ०एल० 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य (प्राक्कलित राशि रु० 1378.0967 करोड़) (एक हजार तीन सौ अठहत्तर करोड़ नौ लाख सड़सठ हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

74. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

75. प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में बिदेश्वरस्थान उपशाखा नहर के कि०मी० 27.44 से कि०मी० 48.78 तक का विस्तारीकरण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रूपया 266,53,39,000/- (दो सौ छियासठ करोड़ तिरेपन लाख उनचालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

75. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

76. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में सारण जिला अंतर्गत "सारण तटबंध के कि०मी० 40.00 से कि०मी० 80.00 के बीच चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं तटबंध शीर्ष पर कालीकृत सड़क निर्माण कार्य (प्राक्कलित राशि-रु० 23984.571 लाख)(दो सौ उनचालीस करोड़ चौरासी लाख सतावन हजार एक सौ मात्र)" की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

76. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

77. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में वैशाली एवं समस्तीपुर जिलान्तर्गत बाया नदी की उड़ाही कार्य (प्राक्कलित राशि रु० 54.4519 करोड़) (रूपये चौवन करोड़ पैतालीस लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

77. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

78. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में पुरानी कमलाधार, जीवछ नदी, पुरानी कमला नदी आदि को पुनर्जीवित करने एवं इससे सिंचाई सुविधा बढ़ाने तथा बाढ़ न्यूनीकरण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रु० 42601.44 लाख (चार सौ छब्बीस करोड़ एक लाख चौवालीस हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

78. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

79. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में वैशाली जिलान्तर्गत बरैला झील में पानी लाने एवं अधिक जल स्तर होने पर निकासी किये जाने से संबंधित कार्य (प्राक्कलित राशि रु० 5335.21 लाख) (रूपये तीरपन करोड़ पैंतीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

79. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

80. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में रक्सौल अनुमंडल में बंगरी नदी पर बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध का निर्माण कार्य प्राक्कलित राशि रु० 3719.00 लाख (सैंतीस करोड़ उन्नीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

80. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

81. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में "सिमरिया घाट एवं कल्पवास मेला क्षेत्र में द्वितीय चरण का विकास कार्य" (प्राक्कलित राशि 3738.00 लाख रुपये) (सैंतीस करोड़ अड़तीस लाख रुपये मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

81. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

82. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय के अन्तर्गत बलान नदी के कि०मी० 0.00 ग्राम मुसापुर (समस्तीपुर जिलान्तर्गत) से कि०मी० 78.70 तक भीठ स्लूईस ग्राम नउला के पास (बेगूसराय जिलान्तर्गत) नदी के तल में जमे गाद सफाई का कार्य एवं जमुआरी नदी के कि०मी० 0.00 मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत हरसिंगपुर ग्राम के समीप (ढोली स्लूईस) से कि०मी० 54.06 तक (ग्राम मुसापुर) समस्तीपुर जिलान्तर्गत नदी के तल में जमे गाद सफाई एवं 33 अदद विभिन्न बिन्दुओं पर द्विपथीय सेतु के निर्माण कार्य (प्राक्कलित राशि-32210.00 लाख रुपये) (तीन सौ बाईस करोड़ दस लाख रुपये मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

82. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

83. प्रगति यात्रा से संबंधित अपर किउल जलाशय योजनांतर्गत मुख्य नहर के 0.00 से 19.60 कि०मी० तक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, प्राक्कलित राशि 6258.00 लाख रुपये (बासठ करोड़ अठावन लाख रुपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

83. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

84. प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में राज्य के अररिया जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रु० 4,01,78,00,000/—(रुपये चार अरब एक करोड़ अठहत्तर लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

84. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

85. प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के क्रम में राज्य के खगड़िया जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण एवं जिला अस्पताल के सुदृढीकरण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रु० 4,60,56,00,000/—(रुपये चार अरब साठ करोड़ छप्पन लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

85. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

86. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत वीरपुर अनुमण्डल (सुपौल) में स्थायी रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जाने एवं उक्त कार्यालय के लिए अवर निबंधक (राजपत्रित), रात्रिप्रहरी (अराजपत्रित) तथा कार्यालय परिचारी (अराजपत्रित) के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

86. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

87. प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में पूर्णियाँ जिलान्तर्गत "माँ कामाख्या महोत्सव मेला" को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए राजकीय मेला घोषित करने के संबंध में।

87. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

88. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में राज्य स्कीम अन्तर्गत मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, दरभंगा के विभिन्न भवनों के निर्माण, चाहरदीवारी निर्माण तथा परिसर विकास हेतु रु० 48,64,00,000/—(अड़तालीस करोड़ चौसठ लाख रुपये) एवं संस्थान के पाण्डुलिपियों के संरक्षण हेतु रु० 8,16,56,000/—(आठ करोड़ सोलह लाख छप्पन हजार रुपये) अर्थात् कुल रु० 56,80,56,000/—(छप्पन करोड़ अस्सी लाख छप्पन हजार रुपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

88. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

(वायुयान संगठन निदेशालय)

89. वीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अनुमानित मुआवजा राशि ₹42,37,79,000/- (बयालीस करोड़ सैंतीस लाख उनासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

89. स्वीकृत।

खेल विभाग

90. प्रगति यात्रा के संबंध में पूर्णिया जिला के मौजा-मधुबनी के रंगभूमि क्षेत्र में खेल अवसंरचना निर्माण हेतु कुल ₹4168.25 लाख (एकतालीस करोड़ अड़सठ लाख पचीस हजार रुपये) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव के संबंध में।

90. स्वीकृत।

खेल विभाग

91. प्रगति यात्रा के क्रम में की गयी घोषणा के आलोक में पश्चिमी चम्पारण जिले के बेतिया में स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्य हेतु ₹5399.08 लाख (तिरपन करोड़ निन्यानवे लाख आठ हजार रुपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति पर सहमति प्रदान करने के संबंध में।

91. स्वीकृत।

खेल विभाग

92. प्रगति यात्रा के क्रम में की गयी घोषणा के आलोक में सहरसा जिला मुख्यालय के आस-पास स्टेडियम निर्माण कराने हेतु ₹5822.48 लाख (अट्ठावन करोड़ बाईस लाख अड़तालीस हजार रुपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति पर सहमति प्रदान करने के संबंध में।

92. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

93. पथ प्रमंडल, सीवान अन्तर्गत सीवान-आन्दर पथ (कि०मी० 0.00 से 16.250) तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 6747.57 लाख (सड़सठ करोड़ सैंतालीस लाख सतावन हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

93. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

94. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल छपरा अन्तर्गत एकमा-मशरख पथ के कि०मी० 0.00 से 31.60 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 9362.22 लाख (तिरानवे करोड़ बासठ लाख बाईस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

94. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

95. प्रगति यात्रा के क्रम में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत लाल बकेया नदी पर बलुआ गुआबारी के समीप 7X30.0 मी०+ 5X30 मी० आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹7234.00 लाख (रुपये बहत्तर करोड़ चौतीस लाख मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

95. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

96. प्रगति यात्रा के क्रम में सात निश्चय-2-सुलभ सम्पर्कता के तहत पथ प्रमंडल, सिवान अंतर्गत पंचरुखी बाईपास-मोहम्मदपुर मोड़ (एन०एच०-531) से छपिया-टेंढीघाट-गोपालपुर (एन०एच०-227) पथ के कि०मी० 0.00 से 13.800 (कुल लंबाई 13.800 कि०मी०) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 12048.71 लाख (एक सौ बीस करोड़ अड़तालिस लाख एकहत्तर हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

96. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

97. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल संख्या-01 मुजफ्फरपुर अन्तर्गत चांदनी चौक (एन०एच०-28) से बखरी (एन०एच०-57) पथ के कि०मी० 0.00 से 7.65 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 8977.13 लाख (नवासी करोड़ सतहत्तर लाख तेरह हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

97. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

98. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल बेगुसराय अन्तर्गत तेघड़ा-मुबारकपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 6.7 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 3026.26 लाख (तीस करोड़ छब्बीस लाख छब्बीस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

98. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

99. प्रगति यात्रा के क्रम में समस्तीपुर जिलांतर्गत करेह बागमती नदी पर शंकरपुर घाट पर 12 X 27.80m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹6225.00 लाख (रुपये बासठ करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

99. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

100. प्रगति यात्रा के क्रम में समस्तीपुर जिलांतर्गत बुढीगंडक नदी के मगरदही घाट पर पुराने स्क्रूपाईल ब्रीज के स्थान पर पहुँच पथ सहित नए 8 X 24.00m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹4408.00 लाख (रुपये चौवालिस करोड़ आठ लाख मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

100. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

101. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल अररिया अन्तर्गत सैफगंज-सुकैला मोड़ भाया महथावा-भरगामा पथ के कि०मी० 0.00 से 26.666 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 9282.66 लाख (बानबे करोड़ बयासी लाख छियासठ हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

101. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

102. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, गोपालगंज अन्तर्गत मीरगंज बाईपास पथ (कुल लंबाई 3.180 कि०मी०) के निर्माण कार्य हेतु ₹13132.68 लाख (एक सौ इकतीस करोड़ बत्तीस लाख अड़सठ हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

102. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

103. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, बेनीपुर अन्तर्गत असमा पुल (दरभंगा-कुशेश्वर स्थान पथ, एस०एच०-56) से धबौलिया (कुशेश्वर स्थान-फुलतोड़ा घाट पथ) तक बाईपास पथ (कुल लंबाई 3.855 कि०मी०) के निर्माण कार्य हेतु ₹8500.84 लाख (पच्चासी करोड़ चौरासी हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

103. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

104. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल छपरा अन्तर्गत एकमा-डुमाईगढ़ पथ (कुल लंबाई-11.75 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 4166.29 लाख (इकतालिस करोड़ छियासठ लाख उन्तीस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

104. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

105. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल मधुबनी अन्तर्गत 2-लेन पेम्ड सोल्डर सहित मधुबनी रिंग रोड (i) पश्चिमी भाग रिंग रोड-कनकपुर (एन०एच०-27) से जगतपुर (एन०एच०-527ए) लंबाई 20.075 कि०मी० (ii) दक्षिणी भाग रिंग रोड-बिरसार से गंगापुर, लंबाई 5.75 कि०मी० के निर्माण हेतु कुल राशि 29395.69 लाख (दो सौ तिरान्चे करोड़ पंचान्चे लाख उन्हत्तर हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

105. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

106. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल रोसड़ा अन्तर्गत रोसड़ा-शिवाजी नगर-बरियाही घाट-बहेरी पथ के कि०मी० 0.00 से 22.20 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 9611.20 लाख (छियान्चे करोड़ ग्यारह लाख बीस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

106. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

107. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, रोसड़ा अन्तर्गत (1) रोसड़ा बाईपास (उत्तरी) कलवारा चौक (रोसड़ा हथौड़ी पथ के 2रें कि०मी०) से धरहारा (एस०एच०-88 के 5वें कि०मी०) भाया लालपुर, मुहम्मदपुर एवं पवाड़ा तथा (2) रोसड़ा बाईपास (दक्षिणी) रोहुआ (एस०एच०-55 के 26वें कि०मी०) से दौलतपुर (एस०एच०-55 के चैनेज 37वें कि०मी०) कुल लंबाई 12.815 कि०मी० तक के निर्माण कार्य हेतु ₹8718.95 लाख (सत्तासी करोड़ अठारह लाख पंचानवे हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

107. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

108. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, गोपालगंज जिलांतर्गत कटैया औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु चिन्हित स्थल को विजयीपुर देवरिया सड़क से जोड़ने हेतु बाईपास पथ (कुल लंबाई 5.750 कि०मी०) के निर्माण कार्य हेतु ₹9034.90 लाख (नब्बे करोड़ चौतीस लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

108. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

109. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, गोपालगंज अंतर्गत एन०एच०-27 से एन०एच०-531 तक (कुल लंबाई 12.60 कि०मी०) गोपालगंज बाईपास के निर्माण कार्य हेतु ₹12654.85 लाख (एक सौ छब्बीस करोड़ चौवन लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

109. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

110. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल अररिया अन्तर्गत अररिया-कुर्साकांटा-कुआड़ी-सिकटी पथ के कि०मी० 0.00 से 34.509 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 15207.68 लाख (एक सौ बावन करोड़ सात लाख अड़सठ हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

110. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

111. प्रगति यात्रा के क्रम में खगड़िया जिलांतर्गत अलौली प्रखंड में बागमती नदी पर गढ़ घाट के नजदीक 9x35.17m आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹6381.40 लाख (रुपये तिरेसठ करोड़ इक्यासी लाख चालीस हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

111. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

112. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल दरभंगा अन्तर्गत शोभन चौक (एन०एच०-27) से अगरोपट्टी चौक मकिया (एस०एच०-52) पथ भाया गगौल, बरयौल, हरिहरपुर, चमनपुर, कलिगाँव, कनौर, भेलवारा, गौतम कुंड, जंगही टोला एवं बसैठा के निर्माण हेतु कुल राशि 21623.03 लाख (दो सौ सोलह करोड़ तेईस लाख तीन हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

112. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

113. प्रगति यात्रा के क्रम में सात निश्चय-2-सुलभ सम्पर्कता के तहत पथ प्रमंडल, किशनगंज अंतर्गत ठाकुरगंज बाईपास रोड-कथालडांगी से धर्मकांटा चौक (एन०एच०-327 ई के कि०मी० 8वॉ) भाया कॉलेज मोड़ (एम०एच० आजाद कॉलेज) तक के (कुल लंबाई 4.010 कि०मी०) निर्माण कार्य हेतु 3958.78 लाख (उनतालीस करोड़ अठावन लाख अठहत्तर हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

113. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

114. प्रगति यात्रा के क्रम में किशनगंज जिलान्तर्गत महानंदा नदी पर किशनगंज-तैयबपुर-ठाकुरगंज-गलगलिया पथ के 42वें कि०मी० में उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹6181.48 लाख (रुपये एकसठ करोड़ इक्यासी लाख अड़तालीस हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

114. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

115. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, रोसड़ा अंतर्गत मनिका (एस०एच०-88) से विक्रमपुर (एन०एच०-322) भाया श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज नरघोधी, सरायरंजन बाईपास पथ (कुल लंबाई 8.250 कि०मी०) के निर्माण कार्य हेतु ₹4230.87 लाख (बयालीस करोड़ तीस लाख सतासी हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

115. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

116. प्रगति यात्रा के क्रम में किशनगंज जिलांतर्गत कनकई नदी पर असुराघाट एवं निसंदरा घाट के बीच उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹4825.56 लाख (रुपये अड़तालिस करोड़ पच्चीस लाख छप्पन हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

116. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

117. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, बेगुसराय अंतर्गत बखरी-बहादुरपुर (खगड़िया बार्डर) बाईपास पथ (कुल लंबाई 7.5 कि०मी०) के निर्माण कार्य हेतु ₹13528.26 लाख (एक सौ पैतीस करोड़ अठाईस लाख छब्बीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

117. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

118. मधेपुरा जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या-91 पर समपार संख्या-68C (बुधमा एवं मुरलीगंज रेलवे स्टेशन के बीच) के बदले पहुँच पथ सहित सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) निर्माण हेतु कुल ₹19,245.00 लाख (रुपये एक सौ बानबे करोड़ पैतालीस लाख मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

118. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

119. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत भुतहा मोड़ से मिलिया पोलिटेक्निक कॉलेज भाया पूर्णियाँ श्रीनगर पथ तक आर०ओ०बी० सहित बाईपास पथ (कुल लंबाई 9.176 कि०मी०) के निर्माण कार्य हेतु ₹14393.62 लाख (एक सौ तेतालीस करोड़ तिरानबे लाख बासठ हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

119. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

120. मधुबनी जिलान्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-527B एवं खजौली रेलवे स्टेशन-जयनगर रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित रेलवे समपार संख्या-39C (रेलवे कि०मी० चैनैज-47+445) पर आर०ओ०बी० सहित पहुँच पथ निर्माण हेतु कुल ₹17,800.00 लाख (रुपये एक सौ अठहत्तर करोड़ मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

120. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

121. प्रगति यात्रा के क्रम में सुपौल जिलांतर्गत सिमराही बाजार में एन०एच० 57 एवं एन०एच०-106 के जंक्शन प्वाइंट पर फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु कुल ₹18839.00 लाख (रुपये एक सौ अठ्ठासी करोड़ उनतालिस लाख मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

121. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

122. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल पूर्णियां अन्तर्गत 2-लेन पेम्ड सोल्डर सहित एस०एच०-65 (बनभाग चौक) से बिशनपुर धर्मकांटा तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 11153.08 लाख (एक सौ ग्यारह करोड़ तीरपन लाख आठ हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

122. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

123. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल बेगुसराय अन्तर्गत बी०टी०पी०एस०, चकिया (एन०एच०-31) से लखमीनिया बलिया भाया गुप्ता लखमीनिया बांध तक बेगुसराय बाईपास पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 39362.04 लाख (तीन सौ तिरानवें करोड़ बासठ लाख चार हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

123. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

124. प्रगति यात्रा की घोषणाएं में सम्मिलित मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास बुढ़ी गंडक नदी पर 12x25.00 M आकार उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का अतिरिक्त कार्य (Phase-II) 2950.00 मी० (2200m + 750.00m) लम्बाई में पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु 12093.11 लाख (एक सौ बीस करोड़ तिरानवे लाख ग्यारह हजार) रुपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

124. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

125. प्रगति यात्रा के क्रम में खगड़िया जिलांतर्गत बुढ़ी गंडक नदी पर रहीमपुर एवं खगड़िया बाईपास पथ के बीच 8x35.17 मी० आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण हेतु कुल ₹9904.60 लाख (रुपये निम्नान्वे करोड़ चार लाख साठ हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
125. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

126. प्रगति यात्रा के क्रम में दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे भाया डोनार चौक, कर्पूरी चौक एवं कर्पूरी चौक से एकमा चौक भाया लहेरियासराय चौक, लोहिया चौक तक अपग्रेडेशन/उन्नयन तथा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य हेतु कुल 186887.00 लाख (अठारह सौ अड़सठ करोड़ सत्तासी लाख) मात्र रूपये के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
126. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

127. प्रगति यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत चांदनी चौक से रामदयालु नगर तक NH-122 के पथांश के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु कुल 4476.17 लाख (चौवालिस करोड़ छिहत्तर लाख सत्रह हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
127. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

128. प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर-हाजीपुर पथ पर तुर्की एवं रामदयालु नगर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित रेलवे समपार संख्या-7 Spl के बदले सड़क उपरी पुल (रेलवे कि०मी० 47/10-11) के निर्माण कार्य कुल ₹ 24800.00 लाख (रुपये दो सौ अड़तालीस करोड़ मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
128. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

129. प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर-रामदयालुनगर रेलवे स्टेशनों के बीच (रेलवे कि०मी० -50/36-38) गोबरसही चौक के पास लेवल क्रॉसिंग संख्या-4A के बदले आर०ओ०बी० का निर्माण कार्य हेतु राज्यांश राशि ₹13261.3476 लाख (रुपये एक सौ बत्तीस करोड़ एकसठ लाख चौतीस हजार सात सौ साठ मात्र) सहित कुल ₹ 16768.20 लाख (रुपये एक सौ सड़सठ करोड़ अड़सठ लाख बीस हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
129. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

130. प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर कटिहार जिलान्तर्गत कटिहार रेल मंडल के समापार सं०-L.C. No.-KM-1 (Km 0/7-8) (कटिहार-मुकुरिया) संतोषी चौक एवं L.C. No.-KJ-1 (Km 0/8-9) (कटिहार-जोगबनी) साहेब पारा चौक के बीच रेलवे उपरी पुल के निर्माण कार्य कुल ₹ 19365.06 लाख (रुपये एक सौ तिरानबे करोड़ पैंसठ लाख छः हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

130. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

131. प्रगति यात्रा की घोषणाओं में सम्मिलित कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज बथनाहा स्टेशन के बीच कटिहार-जोगबनी रेल खण्ड पर L.C. No.-KJ-65 के बदले सड़क उपरि पुल (आर०ओ०बी०) निर्माण कार्य कुल ₹11564.55 लाख (रुपये एक सौ पन्द्रह करोड़ चौंसठ लाख पचपन हजार मात्र) के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

131. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

132. प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल, सिवान अन्तर्गत यू०पी० सरकार द्वारा घाघरा नदी पर बलिया जिले के चौदपुर ग्राम एवं बिहार राज्य के सिवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर ब्लॉक के नेवारी, गभिरार के बीच निर्मित उच्च स्तरीय पुल से जोड़ने हेतु पहुँच पथ का निर्माण हेतु कुल ₹ 5296.32 लाख (रुपये बावन करोड़ छियानबे लाख बत्तीस हजार) मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

132. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

133. प्रगति यात्रा की घोषणाएं में सम्मिलित गोपलगंज जिलान्तर्गत थावे मंदिर के सम्पर्क मुख्य पथ, आन्तरिक पथ (Internal Road) का निर्माण एवं अन्य कार्य कुल 3075.20 लाख (तीस करोड़ पचहत्तर लाख बीस हजार) रुपये के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

133. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

134. राज्य के पीरपैती (भागलपुर) में अधिग्रहित भूमि पर प्रस्तावित सौर ऊर्जा के स्थान पर ताप विद्युत परियोजना (300X800 मेगावाट) के अधिठापन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, इसका कार्यान्वयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर करने तथा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को क्रियान्वयन एजेंसी नामित करने एवं विभागीय संकल्प संख्या-2838 दिनांक-09.11.2021 को इस हद तक संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

134. स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

135. मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी०एल०ओ०) के पारिश्रमिक/मानदेय की राशि दिनांक 01.04.2025 से प्रति बी०एल०ओ० ₹6,000.00 (छः हजार रुपये) प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹9,000.00 (नौ हजार रुपये) प्रति वर्ष एवं पुनरीक्षण की अवधि में बी०एल०ओ० द्वारा किये जाने वाले घरों के भ्रमण के लिए उन्हें अतिरिक्त ₹ 1,000.00 (एक हजार रुपये) प्रति वर्ष इस प्रकार ₹4,000.00 (चार हजार रुपये) प्रति वर्ष प्रति बी०एल०ओ० की दर से कुल ₹31,15,80,000/- (इकतीस करोड़ पन्द्रह लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।

135. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

136. प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के क्रम में मधुबनी जिला अन्तर्गत लौकही अंचल में कुल रकबा-460.71 एकड़ रैयती भूमि एवं इस घोषणा के अतिरिक्त झंझारपुर अंचल में कुल रकबा 252.23 एकड़ रैयती भूमि अर्थात् समेकित कुल रकबा-712.94 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः रु० 1,32,77,66,220.00 (रुपये एक अरब बत्तीस करोड़ सतहत्तर लाख छियासठ हजार दो सौ बीस) मात्र एवं रु० 1,03,47,69,500.00 (रुपये एक अरब तीन करोड़ सैतालीस लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ) मात्र अर्थात् कुल प्राक्कलित राशि रु० 2,36,25,35,720.00 (रुपये दो अरब छत्तीस करोड़ पच्चीस लाख पैंतीस हजार सात सौ बीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

136. स्वीकृत।